WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244980
CG-DL-E-06042023-244980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 275 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (य) और खंड (यछ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ट) में "मध्यवर्ती या" शब्दों के पश्चात् "ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें;

(ii) (थ) खंड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात् :—

"(थक) 'ऑनलाइन गेम' से ऐसा गेम अभिप्रेत है, जो इंटरनेट पर प्रस्तुत है और कम्प्यूटर संसाधन या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से उपयोक्ता के द्वारा पहुंच योग्य है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड में, इंटरनेट से कम्प्यूटर प्रसुविधाएं और इलैक्ट्रोमॅग्नेटीक ट्रांसमिशन मीडिया और संबंधित उपस्कर का संयोजन और साफ्टवेयर जिसमें, कम्प्यूटर नेटवर्क का

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

इंटरकनेक्टीड विश्वव्यापी नेटवर्क शामिल है, जो ऐसे पारेषण को नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकाल के आधार पर सूचना प्रेषित करता है, अभिप्रेत है;

(थख) 'ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती' से कोई मध्यवर्ती जो अपने कम्प्यूटर संसाधन के उपयोक्ता को एक या एक से अधिक ऑनलाइन गेम तक पहुंचने में समर्थ बनाता है, अभिप्रेत है;

(थग) 'ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय' से ऐसा कोई अस्तित्व अभिप्रेत है, जो नियम 4क के अधीन पदाभिहित है;

(थघ) 'ऑनलाइन रियल मनी मेग' से ऐसा ऑनलाइन गेम अभिप्रेत है, जहां कोई उपयोक्ता उस जमा पर जीतकर कमाने की संभावना के साथ नगद या माल में जमा करता है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड में, 'जीत' से कोई पुरस्कार जिसे नगद या माल में, उपयोक्ता के प्रदर्शन के आधार पर और ऐसे ऑनलाइन गेम के नियमों के अनुसार किसी ऑनलाइन गेम के उपयोक्ता को वितरित किया गया है या वितरित किए जाने का आशय है, अभिप्रेत है।

(थङ) 'अनुज्ञेय ऑनलाइन गेम' से ऐसा अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम या कोई अन्य ऑनलाइन गेम जो एक ऑनलाइन रियल मनी गेम नहीं है, अभिप्रेत है;

(थच) 'अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम' से ऐसा कोई ऑनलाइन रियर मनी गेम अभिप्रेत है, जिसे नियम 4क के अधीन किसी ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा सत्यापित किया गया है;"।

3. उक्त नियम के नियम 3 में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(I) आरंभिक भाग में "सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर "कोई सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और कोई ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती" शब्द रखे जाएंगें;

(II) खंड (ख) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "अपने कम्प्यूटर संसाधन के उपयोक्ता को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए समूचित प्रयास करेगा" शब्दों के स्थान पर "स्वयं के द्वारा तथा अपने कम्प्यूटर संसाधन के उपयोक्ता को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए समूचित प्रयास करेगा" शब्द रखे जाएंगें;

(ख) उपखंड (ii) में, "या जुए" शब्दों के पश्चात् "या कोई ऑनलाइन गेम जो उपयोक्ता के लिए हानिकारक है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें;

(ग) उपखंड (v) में, "प्रकृति की है" शब्द के पश्चात् "केन्द्रीय सरकार के किसी कारबार के संबंध में केन्द्रीय सरकार की ऐसी तथ्य जांच इकाई द्वारा नकली या असत्य या भ्रामक के रूप में पहचान की गई है, जिसे मंत्रालय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें;

(घ) उपखंड (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड और स्पष्टीकरण रखे जाएंगें, अर्थात् :—

'(ix) किसी ऑनलाइन गेम की प्रकृति ऐसी है जो अनुज्ञेय ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं है;

(x) किसी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन या प्रत्यायुक्त विज्ञापन या संवर्धन की प्रकृति में है जो अनुज्ञेय ऑनलाइन गेम नहीं है या ऐसे किसी ऑनलाइन गेम को प्रस्तुत करने वाली किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती का नहीं है;

(xi) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

स्पष्टीकरण.—इस खंड में, "उपयोक्ता को नुकसान और नुकसान" से ऐसा प्रभाव अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, किसी उपयोक्ता या बच्चे के लिए हानिकारक है;';

(III) खंड (च) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच के लिए उपयोक्ता को समर्थ बनाता है वह यथासंभव शीघ्र ऐसे परिवर्तन को अपने उपयोक्ता को सूचित करेगा, परन्तु जो ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के चौबीस-घंटे के पश्चात् न हो;";

(IV) खंड (ञ) में, आरंभिक भाग में, "किन्तु किसी आदेश की प्राप्ति से बहत्तर घंटे के अपश्चात्" शब्दों के पश्चात् "किसी ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के मामले में जो किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच के लिए उपयोक्ता को समर्थ बनाता है जो चौबीस घंटे के पश्चात् न हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें;";

(ii) उप-नियम (2) के, खंड (क) में,—

(I) आरंभिक भाग में, "इस नियम के उपबंधों या" शब्दों के पश्चात् "नियम 4 के उप-नियम (11) से उप-नियम (13) या इससे संबंधित उपबंधों" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगें;

(II) उपखंड (1) के, पहले परन्तुक में, "(ix)" कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "(xi)" कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगें;

(III) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'**स्पष्टीकरण**.—इस नियम में, "प्रमुखता से प्रकाशित" से वेबसाइट के होम पेज पर स्पष्ट दृश्य रीति में या ऐप्लिकेशन आधारित मोबाइल की होम स्क्रीन में या दोनों में जैसा भी मामला हो या होम पेज या होम स्क्रीन से सीधे पहुंच सकने वाले वेब पेज या ऐप स्कीन पर प्रकाशित, अभिप्रेत है।'।

4. उक्त नियम के, नियम 3क में,—

(i) उप-नियम (3) में, "शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यथित व्यक्ति जो शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत को नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उपखंड (i) या नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ख) या नियम 4क के उप-नियम (11) में समाधान के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समाधान नहीं किया गया है जैसा भी मामला हो" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगें;

(ii) उप-नियम (7) में, "संबंधित मध्यवर्ती" शब्दों के पश्चात् "या संबंधित ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय जैसा भी मामला हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें।

5. उक्त नियम के नियम 4 में,—

(i) शीर्षक में, "मध्यवर्ती" शब्द के पश्चात् "और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें;

(ii) उप-नियम (1) में,—

(I) आरंभिक भाग में, "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (फ) में निर्दिष्ट अवसीमा की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (फ) में निर्दिष्ट अवसीमा की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर और कोई ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो उपयोक्ताओं की किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच समर्थ बनाता है," शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(II) खंड (क) में,—

(क) परंतुक में, "मध्यवर्ती" शब्द के पश्चात् "या ऐसा ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ख) स्पष्टीकरण में, "मध्यवर्ती" शब्द के पश्चात् "यथास्थिति, मध्यवर्ती या ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(III) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**.—इस खंड में, "संपर्क के लिए नोडल व्यक्ति" से,—

(i) मुख्य अनुपालन अधिकारी से भिन्न, महत्वपूर्ण सेाशल मीडिया मध्यवर्ती; या

(ii) ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती,

का ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो भारत में निवासी है;';

(IV) खंड (ग) में, स्पष्टीकरण में, "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती" शब्द के स्थान पर "यथास्थिति, महत्वपूर्ण सेाशल मीडिया मध्यवर्ती या ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती" शब्द रखे जाएंगे;

(V) खंड (घ) में, "और उन पर की" शब्दों के स्थान पर "और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती के संबंध में उन पर की" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (5) में, "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया तंत्र में मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक उपयोक्ताओं की पहुंच को समर्थ बनाता है" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (6) में, "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक उपयोक्ताओं की पहुंच को समर्थ बनाता है" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (7) में, "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक उपयोक्ताओं की पहुंच को समर्थ बनाता है" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(10) ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो अपने उपयोक्ताओं की किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच को समर्थ बनाता है, वह ऐसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम पर किसी ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा किए ऐसे ऑनलाइन गेम के सत्यापन का स्पष्ट और दर्शनीय चिह्न उपदर्शित करेगा।

(11) कोई ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो उपयोक्ताओं को किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच को समर्थ बनाता है, अपने उपयोक्ताओं को नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति, सेवा निबंधन और उपयोक्ता करारों की जानकारी देते समय, ऐसे प्रत्येक ऑनलाइन गेम के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी देगा, अर्थात् :—

(क) जीत की कमाई की उम्मीद के साथ जमा की निकासी और प्रतिदाय से संबंधित नीति, ऐसी जीत के अवधारण और वितरण की रीति तथा उपयोक्ता द्वारा संदेय फीस और अन्य प्रभार;

(ख) ऑनलाइन गेम के उपयोक्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए इसके द्वारा अपने-ग्राहक को–जानिए, हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) ऐसे ऑनलाइन गेम के लिए किसी उपयोक्ता द्वारा किए गए जमा को सुरक्षित रखने के लिए किए गए उपाय; और

(घ) ऐसे ऑनलाइन गेम से संबंधित नियम 4क में निर्दिष्ट रूपरेखा।

(12) कोई ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के लिए किसी उपयोक्ता से नकद या वस्तु के रूप में कोई जमा स्वीकार करने से पूर्व ऐसे उपयोक्ता की पहचान करेगा और उसकी पहचान सत्यापित करेगा :

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

परंतु ऐसे ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती के उपयोक्ताओं की पहचान और सत्यापन करने में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रक्रिया का पालन करना अपेक्षित होगा जो ग्राहक का खाता खोलते ग्राहक की पहचान और सत्यापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी इकाई द्वारा पालन की जाती है।

(13) ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो उपयोक्ताओं को किसी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम तक पहुंच को समर्थ बनाता है ऐसे ऑनलाइन गेम को खेलने के प्रयोजन के लिए न तो स्वयं उधार द्वारा वित्तपोषण करेगा और न ही तृतीय पक्ष द्वारा वित्तपोषण किया जाना प्रस्तावित करेगा।"।

6. उक्त नियमों की नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"**4क. ऑनलाइन रियल मनी गेम का सत्यापन करना.—**(1) मंत्रालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय अभिहित कर सकेगा जितने इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में किसी ऑनलाइन रियल मनी गेम का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(2) कोई इकाई, जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करती हो, ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय के रूप में अभिहित करने के लिए मंत्रालय को आवेदन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) जो इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है;

(ख) उसकी सदस्यता गेमिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व है;

(ग) उसके सदस्य ऑनलाइन गेमों का प्रस्ताव और संवर्धन जिम्मेदारी से करते रहे हैं;

(घ) उसका निदेशक बोर्ड विख्यात व्यष्टिकों से मिलकर बना है और हित का टकराव नहीं है तथा ऐसे स्व-विनियामक निकाय के कृत्यों के निर्वहन के लिए विशेष ज्ञान या उपयुक्त व्यवहारिक अनुभव रखते हैं और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(i) ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यष्टि;

(ii) ऑनलाइन गेमों के उपयोक्ताओं के हितों का संवर्धन करने में अनुभव रखने वाला व्यष्टि;

(iii) शिक्षाविद्;

(iv) मनोविज्ञान के क्षेत्र या मानसिक स्वास्थ्य या ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्र का विशेषज्ञ;

(v) सूचना और संसचूना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यष्टि;

(vi) कोई व्यष्टि जो बाल अधिकारों की सुरक्षा के साथ डील करने वाले संगठन का सदस्य या अधिकारी है या रहा है;

(vii) कोई व्यष्टि जिसके पास लोक नीति या लोक प्रशासन या विधि प्रवर्तन या लोक वित्त या अन्य सुसंगत क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव हो, जो मंत्रालय द्वारा अभिहित किया जाए; और

(viii) ऐसे अन्य व्यष्टि जो मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त किए जाएं;

(ड.) उसके कार्यालय संगम और संगम-अनुच्छेद में निम्नलिखित से संबंधित उपबंध हों—

(i) इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन, जिसके अंतर्गत उप-नियम (11) के अधीन शिकायत निवारण भी सम्मिलित है, हितों के टकराव से मुक्त रीति में और उसके सदस्यों की पहुँच में हो;

(ii) प्रकटीकरण और रिपोर्ट करना तथा ऐसे निकाय द्वारा सत्यापित ऑनलाइन गेमों के संबंध में उसके सदस्यों की जवाबदेही;

(iii) किसी व्यकृति को सदस्य के रूप में स्वीकृत करने और बने रहने के लिए तथा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की सदस्यता को निरस्त या निलंबित करने के लिए, इन नियमों के अनुरूप स्पष्ट और सुसंगत मानदंड;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(iv) उपखंड (i), उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद में संशोधन की अपेक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से कार्यान्वित की जाती है ; और

(च) इकाई के पास इन नियमों के अधीन ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय के रूप में अपने कृत्यों के पालन की वित्तीय क्षमता सहित पर्याप्त क्षमता है।

(3) ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय, ऑनलाइन रियल मनी गेम के बाबत अपने सदस्य द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे ऑनलाइन मनी गेम को अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में घोषणा कर सकेगा, यदि, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि—

(क) ऑनलाइन रियल मनी गेम किसी परिणाम पर पंद्मम करने के लिए सम्मिलित नहीं है; और

(ख) ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती और ऐसा ऑनलाइन गेम नियम 3 और नियम 4 के उपबंधों के अनुपालन में किया जाता है, आयु के संबंध में किसी विधि के उपबंध जिस पर कोई व्यक्ति किसी संविदा करने में सक्षम होता है और रूपरेखा नियम (8) के अधीन ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा बनाई जाती है :

परंतु ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय ऑनलाइन रियल मनी गेम के सत्यापन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर प्रारंभ में विश्वास कर सकेगा और ऐसे गेम की तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में घोषणा कर सकेगा :

परंतु वह और कि ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय तीन मास की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरा करने का प्रयास करेगा और इसके पूरा हो जाने पर या तो ऑनलाइन रियल मनी गेम को अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में घोषणा कर सकेगा या आवेदक को लिखित में इसके कारण बताते हुए सूचित करेगा कि ऐसा ऑनलाइन गेम इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

(4) ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय उप-नियम (3) के अधीन सत्यापित सभी अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम की अद्यतन सूची को सभी समय पर, अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर ऐसे ऑनलाइन गेम के ब्यौरे के साथ जिसमें आवेदक के ब्यौरे भी है तारीख और सत्यापन की विधिमान्यता की अवधि, ऐसे सत्यापन के कारण और किसी ऑनलाइन रियल मनी गेम के सत्यापन के निलंबन या प्रतिसंहरण के ब्यौरे, यदि कोई हो, प्रकाशित और अनुरक्षित करेगा।

(5) प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर, सभी समय पर, इसके सभी सदस्यों की अद्यतित सूची, चाहे वर्तमान या भूतपूर्व हो, सदस्य के रूप में उनकी स्वीकृति की तारीख, उनकी निगम या कारोबार संबंधी पहचान संख्या और अन्य ब्यौरे, और किसी सदस्य की सदस्यता का निलंबन या प्रतिसंहरण के ब्यौरे, प्रकाशित और अनुरक्षित करेगा।

(6) ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय आवेदक सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी समय पर, और लिखित में संसूचित किए जाने वाले कारणों के लिए सत्यापन निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऑनलाइन रियल मनी गेम इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में इसके द्वारा सत्यापित नहीं है।

(7) उप-नियम (3) के अधीन सत्यापित ऑनलाइन रियल मनी गेम और ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती, जो ऐसा ऑनलाइन रियल मनी गेम की पहुंच को सक्षम बनाता है ऐसे सत्यापन का एक प्रदर्शनीय और दृश्य चिन्ह प्रदर्शित करेगा, जिसमें कथित किया गया है कि ऑनलाइन रियल मनी गेम इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा सत्यापित किया गया है।

(8) ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय यथास्थिति अपनी वेबसाइट पर, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर प्रमुख रूप से प्रकाशित करेगा, यथास्थिति, ऑनलाइन रियल मनी गेम का सत्यापन करने के लिए रूपरेखा जिसमें, अन्य बातों में से निम्नलिखित सम्मिलित होंगे अर्थात् :—

(क) यह सुनिश्चित करने के उपाय कि ऐसा ऑनलाइन रियल मनी गेम भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध नहीं है;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ख) स्वतः अपहानि और मनोवैज्ञानिक अपहानि सहित, उपयोक्ता अपहानि के विरुद्ध सुरक्षा उपाय;

(ग) अंतर्वस्तु की प्रकृति और प्रकार के आधार पर आयु-रेटिंग तंत्र के माध्यम से माता पिता या पहुंच नियंत्रण उपायों और ऑनलाइन गेम को वर्गीकृत करने सहित बालकों की सुरक्षा उपाय; और

(घ) गेमिंग व्यसनी के खतरे के खिलाफ उपयोक्ताओं की सुरक्षा के उपाय, वित्तीय हानि और वित्तीय कपट, जिसमें गेमिंग सत्र के लिए युक्तियुक्त अवधि के परे उच्चतर आवृत्ति पर चेतावनी संदेश का दोहराना सम्मिलित है और समय या खर्च किए गए धन के लिए उपयोक्ता द्वारा परिभाषित सीमाओं तक पहुंचने पर उपयोक्ताओं को स्वयं को बाहर करने में सक्षम करने का उपबंध करती है।

(9) मंत्रालय, यदि आवश्यक समझे, लिखित में सूचना द्वारा मंत्रालय का प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसे निकायों पर वेबसाइट या मोबाईल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर, ऐसी जानकारी जो मंत्रालय सूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रकटन कर सकेगा।

(10) अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के बाबत अधिनियम की धारा 69क के अधीन निदेश जारी करने के पहले, केन्द्रीय सरकार उप-नियम (4) के अधीन ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा प्रकाशित ब्यौरों पर विचार कर सकेगी।

(11) प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर प्रमुख रूप से प्रकाशित करेगा, शिकायतों के निवारण के लिए रूपरेखा और शिकायत अधिकारी के संपर्क ब्यौरे जिसके संबंध में आवेदक ऐसे निकाय के विनिश्चय से व्यथित है सत्यापन के लिए ऐसे ऑनलाइन रियल मनी गेम से संबंधित किसी मामले के बाबत शिकायत कर सकेगा या सत्यापन जो शिकायत अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर अभिस्वीकृत किया जाएगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से पद्रंह दिन के भीतर निपटान किया जाएगा।

(12) जहां मंत्रालय का विचार है कि ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय द्वारा अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम को कोई सत्यापन इन नियमों के अनुरूप नहीं है, तो वह ऐसे निकाय की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित में, उस निकाय के ऐसे अननुरूपता के तथ्य और इसमें सुधार करने के लिए उपाय करने का निदेश देगा।

(13) मंत्रालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, लिखित में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए ऐसे निकाय का पदाभिधान निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा :

परंतु मंत्रालय, किसी ऑनलाइन गेम के उपयोक्ताओं के हितों में जो उस समय पर या किसी पश्चातवर्ती समय पर ऐसे निकाय द्वारा सत्यापित किया गया था ऐसा अंतरिम निदेश दे सकेगा जो किसी मध्यवर्ती या ऐसे ऑनलाइन गेम तक पहुंच के लिए इसके उपयोक्ताओं को सक्षम करने के संबंध में मध्यवर्तियों के वर्ग द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(14) इन नियमों में 'प्रमुख रूप से प्रकाशित' का अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले प्रकाशन से होगा जो यथास्थिति वेबसाइट को होम पेज पर या मोबाइल आधारित अनुप्रयोग की होम स्क्रीन पर, या दोनों पर या वेब पेज पर या ऐप स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से होम पेज या होम स्क्रीन से एक्सेस किया जा सकता है।

4ख. आरंभिक अवधि के पश्चात् कतिपय बाध्यताओं की प्रयोज्यता.—नियम 3 और नियम 4 के अधीन बाध्यताएं ऑनलाइन गेम के संबंध में लागू नहीं होगी जब तक कि नियम 4क के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए कम से कम तीन ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकायों की तारीख से तीन मास की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है :

परंतु केन्द्रीय सरकार, तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पहले, किसी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि नियम 3 और नियम 4 के अधीन बाध्यताएं ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ऑनलाइन गेम के संबंध में लागू होगी।

4ग. ऑनलाइन रियल मनी गेम से भिन्न ऑनलाइन गेम के संबंध में बाध्यताएं.—(1) यदि केन्द्रीय सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य का सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था या उपयोक्ताओं की अपहानि का निवारण करने के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तब राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लिखित में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे,—

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(क) निदेश दे कि ऐसे ऑनलाइन गेम के बाबत मध्यवर्ती, यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (ix) और उपखंड (x) के अधीन बाध्यताओं और नियम 4 के उप-नियम (1) उप-नियम (5) उप-नियम (6), उप-नियम (7), उप-नियम (10) और उप-नियम (11) के खंड (घ) जो कि एक अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम के रूप में है, का पालन करेगा; और

(ख) वह अवधि विनिर्दिष्ट करे जिसके भीतर ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती जो ऐसे ऑनलाइन गेमिंग तक पहुंच को सक्षम बनाता है खंड (क) में निर्दिष्ट बाध्यताओं का पालन करेगा।

(2) जहां ऑनलाइन गेम उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित किया जाता है नियम 4क के उपबंध लागू होंगे जैसे वे अनुज्ञेय ऑनलाइन रियल मनी गेम को लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों में, "उपयोक्ता अपहानि" का अर्थ कोई प्रभाव जो उपयोक्ताओं के लिए अहितकर है।"।

[फा. सं. 1(1)/2021-साइबर विधियां]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक जी

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 139(अ), तारीख 25 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (z) and (zg) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, namely:—

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) in clause (k), after the words "intermediary or the", the words "online gaming self-regulatory body or the" shall be inserted;

(ii) after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(qa) 'online game' means a game that is offered on the Internet and is accessible by a user through a computer resource or an intermediary.

***Explanation*.—**In this clause, 'Internet' means the combination of computer facilities and electromagnetic transmission media, and related equipment and software, comprising the interconnected worldwide network of computer networks that transmits information based on a protocol for controlling such transmission;

(qb) 'online gaming intermediary' means any intermediary that enables the users of its computer resource to access one or more online games;

(qc) 'online gaming self-regulatory body' means an entity designated as such under rule 4A;

(qd) 'online real money game' means an online game where a user makes a deposit in cash or kind with the expectation of earning winnings on that deposit.

***Explanation*.—**In this clause, 'winnings' means any prize, in cash or kind, which is distributed or intended to be distributed to a user of an online game based on the performance of the user and in accordance with the rules of such online game;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(qe) 'permissible online game' means a permissible online real money game or any other online game that is not an online real money game;

(qf) 'permissible online real money game' means an online real money game verified by an online gaming self-regulatory body under rule 4A;".

3. In rule 3 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1),—

(I) in the opening portion, for the words "social media intermediary and significant social media intermediary", the words "a social media intermediary, a significant social media intermediary and an online gaming intermediary" shall be substituted;

(II) in clause (b),—

(A) in the opening portion, for the words "to cause the user of its computer resource not to host,", the words "by itself, and to cause the users of its computer resource to not host" shall be substituted;

(B) in sub-clause (ii), after the words "or gambling,", the words "or an online game that causes user harm," shall be inserted;

(C) in sub-clause (v), after the word "nature", the words "or, in respect of any business of the Central Government, is identified as fake or false or misleading by such fact check unit of the Central Government as the Ministry may, by notification published in the Official Gazette, specify" shall be inserted;

(D) for sub-clause (ix), the following sub-clauses and *Explanation* shall be substituted, namely:—

'(ix) is in the nature of an online game that is not verified as a permissible online game;

(x) is in the nature of advertisement or surrogate advertisement or promotion of an online game that is not a permissible online game, or of any online gaming intermediary offering such an online game;

(xi) violates any law for the time being in force.

Explanation.—In this clause, "user harm" and "harm" mean any effect which is detrimental to a user or child, as the case may be;';

(III) in clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game shall inform its users of such change as soon as possible, but not later than twenty-four hours after the change is effected;";

(IV) in clause (j), in the opening portion, after the words "but not later than seventy two hours", the words "and in case of an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game not later than twenty-four hours" shall be inserted;";

(ii) in sub-rule (2), in clause (a),—

(I) in the opening portion, after the words "provisions of this rule or", the words, brackets and figures "sub-rules (11) to (13) of rule 4, or in respect of" shall be inserted;

(II) in sub-clause (i), in the first proviso, for the brackets and letters "(ix)", the brackets and letters "(xi)" shall be substituted;

(III) after sub-clause (ii), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

'***Explanation.***—In this rule, "prominently publish" shall mean publishing in a clearly visible manner on the home page of the website or the home screen of the mobile based application, or both, as the case may be, or on a web page or an app screen directly accessible from the home page or home screen.'.

4. In rule 3A of the said rules,—

(i) in sub-rule (3), for the words "Any person aggrieved by a decision of the Grievance Officer", the words, brackets, letters and numbers "Any person who is aggrieved by a decision of the Grievance

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

Officer or whose grievance is not resolved within the period specified for resolution in sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 3 or clause (b) of sub-rule (2) of rule 3 or sub-rule (11) of rule 4A, as the case may be," shall be substituted;

(ii) in sub-rule (7), after the words "intermediary concerned", the words "or the online gaming self-regulatory body concerned, as the case may be," shall be inserted.

5. In rule 4 of the said rules,—

(i) in the heading, after the word "intermediary", the words "and online gaming intermediary" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1),—

(I) in the opening portion, for the words, brackets, letters and figures "intermediary shall, within three months from the date of notification of the threshold under clause (v) of sub-rule (1) of rule 2,", the words, brackets, letters and figures "intermediary, within three months from the date of notification of the threshold under clause (v) of sub-rule (1) of rule 2, and an online gaming intermediary that enables the users to access any permissible online real money game, shall" shall be substituted;

(II) in clause (a),—

(A) in the proviso, after the word "intermediary", the words "or such online gaming intermediary" shall be inserted;

(B) in the *Explanation*, after the word "intermediary", the words "or an online gaming intermediary, as the case may be," shall be inserted;

(III) in clause (b), for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:—

'***Explanation.***—In this clause, "nodal contact person" means the employee of—

(i) a significant social media intermediary, other than its Chief Compliance Officer; or

(ii) an online gaming intermediary,

who is resident in India;';

(IV) in clause (c), in the *Explanation*, for the word "intermediary,", the words "intermediary or an online gaming intermediary, as the case may be," shall be substituted;

(V) in clause (d), for the words "thereon, and", the words "thereon, and, in respect of a significant social media intermediary," shall be substituted;

(iii) in sub-rule (5), for the words "The significant social media intermediary", the words "A significant social media intermediary and an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (6), for the words "The significant social media intermediary", the words "A significant social media intermediary and an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game" shall be substituted;

(v) in sub-rule (7), for the words "The significant social media intermediary", the words "A significant social media intermediary and an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game" shall be substituted;

(vi) after sub-rule (9), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(10) An online gaming intermediary who enables access to its users to any permissible online real money game, shall display a demonstrable and visible mark of verification of such online game by an online gaming self-regulatory body on such permissible online real money game.

(11) While informing the users of its rules and regulations, privacy policy, terms of service and user agreements under clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, an online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game, shall include the following information in respect of every such online games, namely:—

(a) the policy related to withdrawal or refund of the deposit made with the expectation of earning winnings, the manner of determination and distribution of such winnings, and the fees and other charges payable by the user;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(b) the know-your-customer procedure followed by it for verifying the identity of the users of such online game;

(c) the measures taken for protection of deposit made by a user for such online game; and

(d) the framework referred to in rule 4A, relating to such online game.

(12) An online gaming intermediary shall, before accepting any deposit in cash or kind from any user for a permissible online real money game, identify such user and verify his identity:

Provided that the procedure required to be followed by an entity regulated by the Reserve Bank of India for identification and verification of a customer at the commencement of an account-based relationship shall apply, *mutatis mutandis*, in identification and verification of the users of such online gaming intermediary.

(13) An online gaming intermediary who enables the users to access any permissible online real money game shall not itself finance by way of credit or enable financing to be offered by third party for the purpose of playing such online game.".

6. After rule 4 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

'**4A. Verification of online real money game.—**(1) The Ministry may, by a notification in the Official Gazette, designate as many online gaming self-regulatory bodies as it may consider necessary for the purposes of verifying an online real money game as a permissible online real money game under these rules.

(2) An entity which fulfils the following criteria may apply to the Ministry for designation as an online gaming self-regulatory body, namely:—

(a) the entity is a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) its membership is representative of the gaming industry;

(c) its members have been offering and promoting online games in a responsible manner;

(d) its Board of Directors is comprised of individuals of repute and do not have any conflict of interest and possess special knowledge or practical experience suitable for the performance of the functions of such self-regulatory body, and consists of—

(i) an individual having special knowledge of or practical experience in the online gaming industry;

(ii) an individual having experience in promoting the interests of users of online games;

(iii) an educationist;

(iv) an expert in the field of psychology or mental health or such other relevant field;

(v) an individual having special knowledge of or practical experience in the field of information and communications technology;

(vi) an individual who is or has been a member or officer of an organisation dealing with the protection of child rights;

(vii) an individual having practical experience in the field of public policy or public administration or law enforcement or public finance or other relevant field, to be nominated by the Ministry; and

(viii) such other individuals as may be appointed with the previous approval of the Ministry;

(e) its memorandum of association and articles of association contain provisions relating to—

(i) the performance of its functions under these rules, including the redressal of grievances under sub-rule (11), in a manner free from conflict of interest and at arm's length from its members;

(ii) the disclosure and reporting by and accountability of its members in relation to the online games verified by such body;

(iii) the clear and relevant criteria, consistent with these rules, for the acceptance and continuation of a person as its member, and for revoking or suspending such membership after giving such person an opportunity of being heard; and

(iv) the requirement that the amendment in the memorandum of association and articles of association in relation to any matter referred to in sub-clauses (i), (ii) or (iii) is carried out with the previous approval of the Ministry; and

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(f) the entity has sufficient capacity, including financial capacity, to perform its functions as an online gaming self-regulatory body under these rules.

(3) The online gaming self-regulatory body, upon an application made to it by its member in respect of an online real money game, may declare such online real money game as a permissible online real money game, if, after making such inquiry as it deems fit, it is satisfied that—

(a) the online real money game does not involve wagering on any outcome; and

(b) the online gaming intermediary and such online game is in compliance with the provisions of rules 3 and 4, the provisions of any law relating to the age at which an individual is competent to enter into a contract, and the framework made by the online gaming self-regulatory body under sub-rule (8):

Provided that an online gaming self-regulatory body may, initially rely upon the information furnished by the applicant for verification of the online real money game and declare such game as a permissible online real money game for a period not exceeding three months:

Provided further that the online gaming self-regulatory body shall endeavour to complete the inquiry within the said period of three months and, upon its completion, either declare the online real money game as a permissible online real money game or inform the applicant in writing with the reasons thereof that such online game does not meet the requirements under these rules.

(4) The online gaming self-regulatory body shall publish and maintain on its website, mobile based application or both, at all times, an updated list of all permissible online real money games verified under sub-rule (3), along with the details of such online games including the details of the applicant, the dates and period of validity of the verification, the reasons of such verification and the details of the suspension or revocation, if any, of verification of any online real money game.

(5) Every online gaming self-regulatory body shall publish and maintain on its website, mobile based application or both, at all times, an updated list of all its members, whether present or former, the dates of their acceptance as member, their corporate or business-related identity number and other details, and the details of suspension or revocation of membership of any member.

(6) The online gaming self-regulatory body may, at any time, after giving the applicant member an opportunity of being heard and for reasons to be communicated in writing, suspend or revoke the verification, if it is satisfied that the online real money game verified by it is not in compliance with the provisions of these rules.

(7) The online real money game verified under sub-rule (3), and the online gaming intermediary which enables access to such online real money game, shall display a demonstrable and visible mark of such verification stating that the online real money game is verified by the online gaming self-regulatory body as a permissible online real money game under these rules.

(8) The online gaming self-regulatory body shall prominently publish on its website, mobile based application or both, as the case may be, a framework for verifying an online real money game, which, among other things, includes the following, namely:—

(a) the measures to ensure that such online real money game is not against the interests of sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign States and public order;

(b) the safeguards against user harm, including self-harm and psychological harm;

(c) the measures to safeguard children, including measures for parental or access control and classifying online games through age-rating mechanism, based on the nature and type of content; and

(d) the measures to safeguard users against the risk of gaming addiction, financial loss and financial fraud, including repeated warning messages at higher frequency beyond a reasonable duration for a gaming session and provision to enable a user to exclude himself upon user-defined limits being reached for time or money spent.

(9) The Ministry may, if it considers it necessary, by a notice in writing, require an online gaming self-regulatory body to furnish to the Ministry or disclose on such body's website or mobile based application or both, such information as the Ministry may specify in the notice.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(10) Before issuing a direction under section 69A of the Act in respect of a permissible online real money game, the Central Government may take into consideration the details published by an online gaming self-regulatory body under sub-rule (4).

(11) Every online gaming self-regulatory body shall prominently publish on its website, mobile based application or both, the framework for redressal of grievances and the contact details of the Grievance Officer to which an applicant aggrieved by a decision of such body with respect to verification may make a complaint in respect of any matter related to such online real money game or verification which shall be acknowledged by the Grievance Officer within twenty-four hours and resolved within a period of fifteen days from the date of its receipt.

(12) Where the Ministry is of the view that any verification of a permissible online real money game by an online gaming self-regulatory body is not in conformity with these rules, it may, after giving such body an opportunity of being heard, communicate, in writing, the fact of such non-conformity to that body and direct it to take measures to rectify the same.

(13) The Ministry may, if it is satisfied that it is necessary so to do, after giving the online gaming self-regulatory body an opportunity of being heard, by order, for reasons to be recorded in writing, suspend or revoke the designation of such body:

Provided that the Ministry may, in the interest of the users of any online game that was verified by such body at the same time or at any subsequent time, give such interim directions as it may deem necessary to any intermediary or class of intermediaries regarding enabling its users to access such online game.

(14) In this rule, 'prominently publish' shall mean publishing in a clearly visible manner on the home page of the website or the home screen of the mobile based application, or both, as the case may be, or on a web page or an app screen directly accessible from the home page or home screen.

4B. Applicability of certain obligations after an initial period.—The obligations under rules 3 and 4 shall not apply in relation to online games until the expiry of a period of three months from the date on which at least three online gaming self-regulatory bodies have been designated under rule 4A:

Provided that the Central Government may, at any time before the expiry of the said period of three months, by a notification in the Official Gazette, direct that the obligations under rules 3 and 4 shall apply in relation to an online game from such date as may be specified in the notification.

4C. Obligations in relation to online game other than online real money game.—(1) If the Central Government considers it necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India or security of the State or friendly relations with foreign States or public order, or preventing user harm, it may, by a notification in the Official Gazette, for reasons to be recorded in writing,—

(a) direct that an intermediary in respect of such online game, shall observe, *mutatis mutandis*, the obligations under sub-clauses (ix) and (x) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 3 and sub-rules (1), (5), (6), (7), (10) and clause (d) of sub-rule (11) of rule 4 as if it is a permissible online real money game; and

(b) specify the period within which the online gaming intermediary which enables access to such online game shall observe the obligations referred to in clause (a).

(2) Where an online game is notified under sub-rule (1), the provisions of rule 4A shall apply as they apply to a permissible online real money game.

Explanation.—In this rule, "user harm" means any effect which is detrimental to users.'.

[F. No. 1(1)/2021-CyberLaws]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist G

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 139(E), dated the 25th February, 2021 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 794(E), dated the 28th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.